Result Mitra Daily Magazine

चंद्रचूड़ के 7 फैसले

➢ हालिया संदर्भ :

- भारत में 50वें मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ 10 नवंबर को सेवानिवृत होने वाले हैं, जिन्होंने एक जज के रूप में 2016 में सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश पाया था।
- इस दौरान ये कुछ प्रमुख निर्णयों में शामिल रहे, जो निम्न है :

1. के. एस. पुट्टूस्वामी vs भारत संघ :

- अगस्त 2017 न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टूस्वामी vs भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय (SC) के 9 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला दिया कि 'गोपनीयता का अधिकार' अनुच्छेद–21 के तहत प्रदत्त 'जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार' के एक भाग के रूप में संविधान के भाग–III में मूल अधिकार के रूप में गारंटीकृत है।
- इस फैसले में डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अन्य सभी सदस्यों के साथ ADM जबलपुर VS शिवकांत शुक्ला मामले (1976) में आपातकाल के दौर के एक फैसले को भी खारिज कर दिया।
- ध्यातव्य है कि इस मामले में डी.वाई. चंद्रचूड़ के पिता (वाई.वी. चंद्रचूड़) शामिल थे, जिसमें बहुमत से यह फैसला दिया गया था कि 'जीवन का अधिकार' संविधान का उपहार है तथा इसे आपातकाल के दौरान निलंबित/खारिज किया जा सकता है।

2. शफीन जहां vs भारत संघ :

- हदिया मामले से प्रसिद्ध, इस वाद में SC ने कहा कि "अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद–21 के तहत एक मूल अधिकार है।"
- निर्णय में SC ने केरल हाई कोर्ट के 2017 के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें उसने मुस्लिम धर्मांतरित लड़की हदिया और शेफिन जहां की शादी को अमान्य करार दिया था।
- SC ने कहा कि "विवाह के भीतर या बाहर साथी का चुनाव प्रत्येक व्यक्ति के विशेष अधिकार क्षेत्र में आता है तथा विवाह की अंतरंगता गोपनीयता के मुख्य क्षेत्र में आती है, जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है।
- SC ने कहा कि जीवनसाथी चुनने का व्यक्ति का पूर्ण अधिकार आस्था के मामले से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता है और ऐसे में व्यक्तिगत स्वायत्तता सर्वोच्च है, जिसे ना तो राज्य और ना ही कानूनी भागीदार द्वारा निर्देशित किया जा सकता है।

3. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र vs भारत संघ :

- अपने फैसले में CJI डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने माना कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) की विधायी शक्तियों के बाहर के क्षेत्रों को छोड़कर, सेवाओं के प्रशासन में नौकरशाहों पर विधायिका (दिल्ली) का नियंत्रण है।
- SC ने माना कि सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि दिल्ली सरकार के नियंत्रण से बाहर तीन क्षेत्र हैं।
- इस फैसले में SC ने माना कि IAS या संयुक्त कैडर सेवाओं जैसी सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी शक्ति दिन–प्रतिदिन के प्रशासन के संदर्भ में दिल्ली सरकार के पास रहेगी।

4. नवतेज जौहर vs भारत संघ :

- जून 2016 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता एवं भरतनाट्यम नर्तक नवतेज सिंह जौहर तथा अन्य 4 (सभी LGBTQI समुदाय के सदस्य) ने IPC की धारा 377 को चुनौती देते हुए SC में एक रिट याचिका दायर की।
- 5 न्यायाधीशों वाली संवैधानिक पीठ ने धारा–377 को इस हद तक खारिज कर दिया कि यह समलैंगिकता को अपराध बनाती है।
- इसमें SC ने कहा कि LGBT समुदाय समान नागरिक है और उनके साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

5. प्रॉपर्टी ऑनर्स एसोसिएशन और अन्य vs महाराष्ट्र एवं अन्य :

- इस मामले में की 9 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद–39 B में सभी निजी संपत्ति को पुनर्वितरण के लिए "समुदाय का भौतिक संसाधन" नहीं माना जा सकता।

6. चुनावी बॉन्ड मामला :

- फरवरी 2024 में CJI चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि राजनीतिक फंडिंग के लिए केंद्र की चुनावी बॉन्ड योजना गलत है।
- फैसले में SC ने आयकर अधिनियम एवं जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 29 C में संशोधन को असंवैधानिक करार दिया।
- SC ने SBI से तत्काल चुनावी बॉन्ड जारी करने पर रोक लगाने के आदेश दिए एवं बॉन्ड भुना लेने वालों को ब्यौरा प्रस्तुत करने को कहा।

7. एम. सिद्दीक vs महंत सुरेश दास एवं अन्य :

- इस ऐतिहासिक मामले में SC की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि पूरी विवादित भूमि श्री राम मंदिर निर्माण के लिए गठित ट्रस्ट को सौंप दी जाएगी एवं मुस्लिम पक्ष को 'इक्विटी' के नाम पर मस्जिद बनाने के लिए स्थल के पास या अयोध्या में किसी उपयुक्त स्थल पर 5 एकड़ जमीन दी जाएगी।
- इस फैसले के द्वारा SC ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2010 के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें उसने विवादित 2.77 एकड़ भूमि को निर्मोही अखाड़ा, भगवान राम लला विराजमान एवं UP सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के बीच विभाजित करने का आदेश दिया था।

Result Mitra